

[2023] 2 एस. सी. आर 560

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

ए.

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम का कार्यालय।

डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही और अन्य (सिविल अपील सं.1384-85 2023 का)

बी.

23 फरवरी, 2023

[अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

ओडिशा लोकायुक्ता अधिनियम, 2014 -धारा 20 (1), 25,28-अपीलार्थी द्वारा यू/एस द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित आदेश।20(1), प्रत्यर्थी सं. के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का निर्देश।1 - उच्च न्यायालय द्वारा अलग रखा गया-हेल्ड:उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के आदेश को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द करते हुए विवादित आदेश पारित किया और इस प्रकार, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है-गुण-दोष पर भी, उच्च न्यायालय ने एस की पूरी तरह से अनदेखी की।20(1) जो लोकायुक्ता को, शिकायत प्राप्त होने पर, अपने विवेकाधिकार पर, यदि आगे बढ़ने और कोई जांच करने का इरादा रखता है, तो अपनी शाखा या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किसी लोक सेवक के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का अधिकार देता है-जहां तक 'किसी भी एजेंसी' शब्द का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से एस से प्रकट होता है।25 जो लोकायुक्ता को इस तरह से प्रयोग करने के लिए अधीक्षण की शक्ति सौंपता है ताकि राज्य सतर्कता और अपराध शाखा सहित किसी भी एजेंसी की आवश्यकता हो।एस. 28. किसी भी प्रारंभिक अनुसंधान या अनुसंधान के संचालन के उद्देश्य से, लोकायुक्ता के लिए सरकार के किसी भी अधिकारी या संगठन या अनुसंधान एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए खुला है-इस प्रकार, वर्तमान मामले में, यदि अपीलार्थी ने सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से प्रारंभिक अनुसंधान की है, जिसका संदर्भ यू/एस.28 सतर्कता निदेशालय, कटक के माध्यम से, अपीलार्थी द्वारा कोई कानूनी दुर्बलता नहीं की गई है-प्रारंभिक जांच करने में निर्णय लेने की प्रक्रिया एस के दायरे और दायरे में थी।20(1)-उच्च न्यायालय के निर्णय और समीक्षा आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

प्रशासनिक कानून-पक्षपात के खिलाफ शासन-आयोजित:पक्षपात के खिलाफ नियम पक्षपात से दागी निर्णय निर्माताओं को बाहर करके एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करता है-नियम के तहत, वास्तविक पूर्वाग्रह अयोग्य है, भले ही इसे स्थापित करना निषेधात्मक रूप से कठिन हो-न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए-वर्तमान मामले में, शिकायत प्रस्तुत करने वाला अधिकारी केवल एक ए था

जी.

एच.

560

561

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही का कार्यालय ए

सूचना देने वाला और इच्छुक व्यक्ति नहीं, उसी समय, प्रारंभिक जांच एक अलग अधिकारी द्वारा की गई थी जो शिकायत के लेखक से जुड़ा नहीं था-इस प्रकार, पक्षपात की याचिका निराधार है-ओडिशा लोकायुक्ता अधिनियम, 2014।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

बी.

पकड़ना:**1.1** प्राकृतिक न्याय के शासन का उद्देश्य न्याय प्राप्त करना या इसे नकारात्मक रूप से रखना है, ये नियम केवल उन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं जो वैध रूप से बनाए गए किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते हैं। इससे पहले कि सतर्कता निदेशालय द्वारा प्रारंभिक जांच करने में कोई कार्रवाई की जा सकती थी, प्रत्यर्थी नं. **1** उच्च न्यायालय के समक्ष और पहले चरण में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना, प्रारंभिक जांच करने के लिए अपीलार्थी द्वारा पारित **11** दिसंबर, **2020** के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रत्यर्थी नं. **1** के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने के लिए अपीलार्थी के दिनांक **11** दिसंबर, **2020** के आदेश को दरकिनार करते हुए विवादित आदेश पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है। **1** अधिनियम, **2014** की धारा **20 (1)** के तहत शक्तियों का प्रयोग करना जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। [पारस **25,26,27**]

[**572-एफ-एच; 573-बी-सी**]

सी.

डी.

1.2 यहां तक कि गुण-दोष के आधार पर भी, खंड पीठ ने अधिनियम, **2014** की धारा **20 (1)** की पूरी तरह से अनदेखी की है, जो शिकायत प्राप्त होने पर, स्पष्ट रूप से संतुष्टि दर्ज करने के बाद, अपने विवेकाधिकार में, यदि आगे बढ़ने और कोई अनुसंधान करने का इरादा रखता है, तो यह पता लगाने के लिए कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या किसी भी कानून के तहत सशक्त किसी एजेंसी या प्राधिकरण द्वारा अनुसंधान करने के लिए कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, किसी लोक सेवक के खिलाफ प्रारंभिक अनुसंधान कर सकता है। जहाँ तक 'किसी भी अभिकरण' शब्द का संबंध है, यह अध्याय **VIII** की धारा **25** से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है जो लोकायुक्ता को इस तरह से प्रयोग करने के लिए अधीक्षण की शक्ति सौंपती है ताकि राज्य सतर्कता और अपराध शाखा सहित किसी भी अभिकरण की आवश्यकता हो। [पारस **28,29**] **[573-डी-ई]**

ई.

एफ.

जी.

1.3 साथ ही, धारा **28** के तहत, किसी भी प्रारंभिक अनुसंधान या अनुसंधान करने के उद्देश्य से, यह खुला है

एच.

562 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

लोकायुक्ता सरकार के किसी अधिकारी या संगठन या अनुसंधान अभिकरण की सेवाओं का उपयोग करने के लिए और उन परिस्थितियों में, यदि अपीलार्थी अपने विवेकपूर्ण विवेक से और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, सरकार की किसी ऐसी अभिकरण के माध्यम से प्रारंभिक अनुसंधान करता है जिसका संदर्भ सतर्कता निदेशालय, कटक के माध्यम से धारा **28** के तहत किया गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रारंभिक अनुसंधान करने में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है जो अधिनियम, **2014** की धारा **20 (1)** के दायरे और दायरे में थी और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा **11** दिसंबर, **2020** के अपीलार्थी के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रत्यर्थी नं. **1**. [पैरा **30**] **[573-एफ-एच; 574-ए]**

बी.

सी.

1.4 यद्यपि यह न्यायालय इस न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पर रोक होने पर आगे की कार्रवाई करने में अपीलार्थी की कार्रवाई की सराहना नहीं कर सकता है, लेकिन

साथ ही, प्रत्यर्चीगण को यह औचित्य साबित करने का अवसर भी दिया गया था कि क्या अपीलार्थी द्वारा की गई कार्रवाई अधिनियम, **2014** के जनादेश के अनुरूप नहीं है, लेकिन इस न्यायालय के समक्ष रखी गई लिखित प्रस्तुतियों से, प्रत्यर्चीगण द्वारा कोई वैध आपत्ति नहीं उठाई गई थी, जो इस न्यायालय से **11** दिसंबर, **2020** के आदेश के अनुसार प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अपीलार्थी द्वारा की जा रही कार्रवाई को आगे बढ़ाने में हस्तक्षेप करने का आह्वान कर सकती है।[पैरा **33**] [**574-डी-एफ**]

डी.

ई.

1.5 पक्षपात के खिलाफ नियम आधुनिक प्रशासनिक कानून का एक अनिवार्य घटक है। पक्षपात के खिलाफ नियम निर्णय निर्माताओं को बाहर करके एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जो पूर्वाग्रह से दागी हैं। नियम के तहत, वास्तविक पूर्वाग्रह अयोग्य है, भले ही इसे स्थापित करना निषेधात्मक रूप से कठिन हो। समय-परीक्षित नियम में अंतर्निहित मूल सिद्धांत यह है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए। तत्काल मामले में, शिकायत सतर्कता निदेशालय के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की गई थी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायत से संबंधित नहीं है, उसे अपीलार्थी के कार्यालय का मुखबिर कहा जा सकता है और इसके अलावा, सतर्कता निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रारंभिक जांच की गई थी, जिन्होंने ए.

एफ.

जी.

एच.

563

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही का कार्यालय ए

प्रारंभिक जाँच की उनकी रिपोर्ट। तत्काल तथ्यों और परिस्थितियों में पक्षपात का सवाल बिल्कुल भी नहीं उठता है। इसके अलावा, यदि अधिनियम, **2014** की धारा **20 (1)** के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रारंभिक जांच करने के लिए सतर्कता निदेशालय को निर्देश देने वाले अपीलार्थी के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया है, तो जाहिर है, अपीलार्थी एक व्यथित व्यक्ति है और संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करके निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता/वैधता पर सवाल उठा सकता है। उच्च न्यायालय के फैसले और समीक्षा आदेश को

दरकिनार कर दिया जाता है।[पारस **35,37,42** और **43**] **[575-सी; 578-डी-एफ; 581-बी-डी]**

बी.

सी.

अशोक कुमार यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य **1985 (4) एससीसी 417:[1985] 1 पूरक।एससीआर**

657; मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली की मादक पदार्थ शाखा)

2020 (10) एससीसी 120:[2020] 9 एस. सी. आर. 245-इसके बाद आया।

राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम दिल्ली राज्य और

एक और **2010 (12) एससीसी 599:[2010] 10 एस. सी. आर. 905; एम.**

डी.

काजी बनाम मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी और अन्य **2016 (9)**

एससीसी **263:[2016] 4 एस. सी. आर. 80-**लागू नहीं होता।

ए. के. क्राईपाक और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य

1969 (2) एससीसी 262:[1970] 1 एस. सी. आर. 457-पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

ई.

[1970] 1 एससीआर 457

उस पर भरोसा करें

पैरा **35**

[1985] 1 पूरक।एस. सी. आर. 657 का अनुसरण किया गया

पैरा **36**

[2020] 9 एससीआर 245

पीछा किया।

पैरा **37 [2010] 10 एससीआर 905** लागू नहीं होता पैरा **38 [2016] 4 एससीआर 80**

एफ.

लागू नहीं होने वाला पैरा **38**

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील Nos.1384-1385।

जी.

2021 के WP (C) No.3488 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांक 03.02.2021 के निर्णय और आदेश से और 2021 के RVWPET No.45 में दिनांकित 05.04.2021 से।

रवींद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्जुन गर्ग, आकाश नंदोलिया, सुश्री सागुन श्रीवास्तव, सुश्री सान्या शुक्ला, देवांगना सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एच.

564

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

पीतांबर आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपूर्व करोल, लक्ष्य शर्मा, मिथु जैन, शिवाशीष मिश्रा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी, जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

बी.

2. ओडिशा लोकायुक्ता अधिनियम, 2014 की धारा 20 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए ओडिशा लोकायुक्ता द्वारा पारित 11 दिसंबर, 2020 के आदेश को दरकिनार करते हुए कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 3 फरवरी, 2021 को पारित निर्णय के खिलाफ तत्काल अपीलों का निर्देश दिया गया है (जिसे इसके बाद "अधिनियम 2014" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) 9 दिसंबर, 2020 को श्री रंजन कुमार दास, पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता प्रकोष्ठ इकाई, भुवनेश्वर से प्राप्त एक शिकायत पर जो प्रत्यर्थी नं. 1 जो गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, सतर्कता निदेशालय, कटक को प्रारंभिक जांच करने और लोकायुक्ता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।

सी.

डी.

3. अपीलार्थी के कहने पर दायर समीक्षा याचिका इस आधार पर दायर की गई कि ओडिशा के लोकायुक्ता की कभी सुनवाई नहीं हुई और 3 फरवरी, 2021 के विवादित आदेश को पारित करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था, जिसे 5 अप्रैल, 2021 को एक गैर-भाषी आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया।

ई.

4. प्रत्यर्थी नं. 1 विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं। तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता प्रकोष्ठ इकाई, भुवनेश्वर, श्री रंजन कुमार दास ने 9 दिसंबर, 2020 को गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र की ओडिशा विधानसभा के सदस्य के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का संकेत देते हुए एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के साथ सहायक दस्तावेज भी संलग्न किए गए थे। ओडिशा के लोकायुक्ता ने शिकायत की सामग्री और उससे जुड़े सहायक दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम, 2014 की धारा 20 (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सतर्कता निदेशालय, ओडिशा, कटक को प्रत्यर्थी नं. 1 और दो महीने के भीतर एक और निर्देश के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि सतर्कता निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रारंभिक जांच के दौरान, धारा 20 (2) के आदेश का पालन किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

एच.

565

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही का कार्यालय [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

और इसके साथ ही उन्होंने लोकायुक्ता कार्यालय को अनुपालन के लिए सतर्कता निदेशालय को सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 5. ओडिशा के लोकायुक्ता द्वारा 11 दिसंबर, 2020 के अपने आदेश द्वारा दिए गए एक संदर्भ पर तुरंत सतर्कता निदेशालय को प्रत्यर्थी नं. 1 और रिपोर्ट को बुलाने पर, प्रत्यर्थी सं. द्वारा चुनौती दी गई। 1 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके। यद्यपि लोकायुक्ता के कार्यालय को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन जैसा कि इस न्यायालय को सूचित किया गया था, उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और सुनवाई की पहली तारीख को, अपीलार्थी को अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर दिए बिना, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 3 फरवरी, 2021 के आदेश के

तहत इस आधार पर आगे बढ़े कि सतर्कता निदेशालय को प्रारंभिक जांच करने के लिए सौंपना धारा 20 (1) के अधिदेश के संदर्भ में नहीं है और 11 दिसंबर, 2020 के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें लोकायुक्ता को प्रतिवादी नं. 1. लोकायुक्ता की जांच शाखा द्वारा लोकायुक्ता की जांच शाखा द्वारा प्रस्तुत की जा रही प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद धारा 20 (2) और 20 (3) की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ने की और स्वतंत्रता के साथ।

बी.

सी.

डी.

6. 3 फरवरी, 2021 के आदेश के खिलाफ लोकायुक्ता द्वारा दायर समीक्षा को 5 अप्रैल, 2021 के एक गैर-भाषी आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जो हमारे समक्ष अपीलों में चुनौती का विषय है।

ई.

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 3 फरवरी, 2021 का आदेश प्रकृति न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और निष्कर्ष अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना दर्ज किया गया है और इसके अलावा, यह अधिनियम 2014 की धारा 20 (1) के अधिदेश के अनुरूप नहीं है।

एफ.

8. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 20 (1) लोकायुक्ता को एक विकल्प प्रदान करती है, जो शिकायत प्राप्त होने पर, यदि किसी लोक सेवक के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का आदेश देता है, तो यह पता लगाने के लिए कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, अपनी जांच शाखा या किसी भी एजेंसी द्वारा संचालित कर सकता है। यदि अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से अधिनियम 2014 के अध्याय VIII पर विचार किया जा रहा है, तो धारा 25 के तहत निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी में संचालन के उद्देश्य से राज्य सतर्कता और अपराध शाखा शामिल है।

जी.

एच.

566

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

प्रारंभिक अनुसंधान या अनुसंधान , जैसा भी मामला हो, और जिसे धारा 28 के तहत परिकल्पित प्रारंभिक अनुसंधान या अनुसंधान करने की प्रक्रिया द्वारा और मजबूत किया जाता है, जिसमें लोकायुक्ता के लिए सरकार की एजेंसी के माध्यम से प्रारंभिक अनुसंधान या अनुसंधान करना खुला होता है। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि 11 दिसंबर, 2020 के आदेश के तहत सतर्कता निदेशालय द्वारा प्रारंभिक जांच करने का जिम्मा देना अधिनियम 2014 के अनुरूप नहीं है, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

बी.

9. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि जांच शाखा या किसी भी एजेंसी को प्रारंभिक जांच करने के लिए बुलाना केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। विधानमंडल इस तथ्य से अवगत था कि यदि यह उस पदधारी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है जिसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किया गया है और कोई आगे की कार्रवाई करने से पहले या अनुसंधान करने या विभागीय अनुसंधान शुरू करने के लिए कोई सिफारिश करने से पहले, यह लोकायुक्ता पर बाध्यकारी है कि वह लोक सेवक को सुनवाई का अवसर प्रदान करे जैसा कि अधिनियम, 2014 की धारा 20 (2) और 20 (3) के तहत संदर्भित है। लोकायुक्ता की शक्तियों के भीतर प्रारंभिक अनुसंधान और अनुसंधान करने के लिए अध्याय VII के तहत एक पूर्ण अंतर्निहित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अध्याय VIII में न केवल प्रारंभिक अनुसंधान और अनुसंधान करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है, बल्कि अधिनियम, 2014 की धारा 20 (8) के तहत निर्दिष्ट आरोप पत्र के पंजीकरण के चरण में भी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने का भी उल्लेख किया गया है।

सी.

डी.

ई.

10. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा 11 दिसंबर 2020 के अपने आदेश के तहत प्रारंभिक जांच शुरू करने में कोई प्रतिकूल या प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की गई थी, इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा इस स्तर पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में किया गया हस्तक्षेप न तो वैध था और न ही उचित था। 11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता प्रकोष्ठ, भुवनेश्वर द्वारा दिनांक 9 दिसंबर, 2020 को शिकायत की गई थी, जो सतर्कता निदेशालय, कटक, ओडिशा, कटक के अधिकारी थे और सतर्कता निदेशालय, ओडिशा को 11 दिसंबर, 2020 के आदेश द्वारा प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था, यह निर्णय स्वयं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। एक बार शिकायत सतर्कता निदेशालय के अधिकारी द्वारा ए में की गई थी

एफ.

जी.

एच.

567

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही का कार्यालय [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

कम से कम सतर्कता निदेशालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक जांच को सौंपना, जो सीढ़ी में वरिष्ठ हो सकता है, कानूनी रूप से उचित नहीं था। विभाग के अधिकारी ने 9 दिसंबर, 2020 को एक शिकायत की है और अन्य अधिकारी को प्रारंभिक जांच करने के लिए कहा जाता है क्योंकि कहा गया है कि कोई अपने कारण से न्यायाधीश नहीं हो सकता है और यही कारण है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने लोकायुक्ता को लोकायुक्ता की जांच शाखा द्वारा जांच करने की अनुमति दी है और सतर्कता निदेशालय से प्रशासनिक पूर्वाग्रह से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसे प्रारंभिक जांच करनी है।

बी.

12. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि प्रत्यर्हीगणों का विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया था और राज्य के महाधिवक्ता राज्य के अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए थे, इसलिए अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की याचिका का उल्लंघन किया जा रहा है, तथ्यों और परिस्थितियों में, अच्छा नहीं है। इसके अलावा, पुनर्विचार याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया गया क्योंकि अपीलकर्ता 3 फरवरी, 2021 के अपने आदेश के तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा की जा रही किसी भी स्पष्ट त्रुटि को सही ठहराने में विफल रहा, जिसमें हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

सी.

डी.

13. यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा 23 अप्रैल, 2021 को नोटिस जारी करते समय, विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। इस न्यायालय द्वारा दी गई रोक को आगे बढ़ाते हुए, यह सूचित किया जाता है कि अपीलकर्ता आगे बढ़ गया है और अधिकारी श्री पी. के. नाइक द्वारा 28 मई, 2021 को लोकायुक्ता को प्रारंभिक अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, लोकायुक्ता द्वारा 27 सितंबर, 2021 की धारा 20 (3) (ए) के तहत एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था जिसमें सतर्कता निदेशालय को अनुसंधान करने का निर्देश दिया गया था। इसे आगे बढ़ाते हुए, सतर्कता निदेशालय ने 7 जून, 2022 को लोकायुक्ता को

अनुसंधान की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, हालांकि, आगे कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है और इस अदालत के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है जो 24 जून, 2022 के आदेश में इंगित किया गया है जो 2022 के आई. ए. संख्या 89629 के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया है।

ई.

एफ.

14. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

जी.

15. इससे पहले कि हम तत्काल अपीलों में उठाए गए प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, पहले अधिनियम, 2014 की योजना पर एक विहंगम नज़र डालना उचित हो सकता है।

एच.

568

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

16. इस अधिनियम, 2014 को ओडिशा राज्य के विधानमंडल द्वारा 16 जनवरी, 2015 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद अधिनियमित किया गया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों की जांच के लिए ओडिशा राज्य के लिए लोकायुक्ता निकाय की स्थापना का प्रावधान करना है। यह अधिनियम राज्य में और राज्य के बाहर सेवारत ओडिशा राज्य के लोक सेवकों और ओडिशा सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों पर लागू होता है।

बी.

17. 'शिकायत' को धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित किया गया है, और अधिनियम 2014 की धारा 2 (एल) और 2 (एन) के तहत 'प्रारंभिक जांच' और 'लोक सेवक' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

सी.

“2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(घ) "शिकायत" से ऐसी शिकायत अभिप्रेत है, जो ऐसे प्रपत्र में की गई हो जो विहित की जाए, जिसमें आरोप लगाया गया हो कि एक लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध किया है;

डी.

.....

((च) "प्रारंभिक जाँच" से इस अधिनियम के तहत की गई जाँच अभिप्रेत है;

.....

ई.

("लोक सेवक" से धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, लेकिन इसमें कोई लोक सेवक शामिल नहीं है, जिसके संबंध में सेना अधिनियम, 1950, वायु सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और तटरक्षक अधिनियम, 1978 के तहत किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है या उन अधिनियमों के तहत ऐसे लोक सेवक पर प्रक्रिया लागू होती है;

एफ.

.....".

18. अध्याय VII प्रारंभिक अनुसंधान और अनुसंधान के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसके प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

जी.

"20. (1) लोकायुक्ता, शिकायत मिलने पर, यदि वह आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो आदेश दे सकता है-ए

एच.

569

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही का कार्यालय [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

(क) किसी लोक सेवक के खिलाफ उसकी जांच शाखा या किसी एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच यह पता लगाने के लिए कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है; या

(ख) अनुसंधान करने के लिए किसी भी कानून के तहत सशक्त किसी भी एजेंसी या प्राधिकरण द्वारा अनुसंधान, जहां कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है: बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी अनुसंधान का आदेश केवल तभी दिया जाएगा जब लोकायुक्ता की राय में किसी प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व से संबंधित पर्याप्त सामग्री है या उसी शिकायत के संबंध में कोई पूर्व वैधानिक अनुसंधान या अनुसंधान से पता चलता है कि एक प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है:

बी.

सी.

बशर्ते कि इस खंड के तहत अनुसंधान का आदेश देने से पहले, लोकायुक्ता लोक सेवक से स्पष्टीकरण और सक्षम प्राधिकारी के विचार मांगेगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अनुसंधान के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है: बशर्ते कि इस खंड के तहत अनुसंधान का आदेश देने का निर्णय धारा 16 के तहत अध्यक्ष द्वारा गठित पीठ द्वारा लिया जाएगा।

डी.

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रारंभिक जांच के दौरान, जांच शाखा या कोई भी एजेंसी प्रारंभिक जांच करेगी और एकत्र की गई सामग्री, जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर, लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से शिकायत में लगाए गए आरोपों पर टिप्पणियां मांगेगी और संबंधित लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, संदर्भ प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, लोकायुक्ता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ई.

एफ.

(3) लोकायुक्ता के कम से कम तीन सदस्यों वाली पीठ जांच शाखा या किसी एजेंसी से उप-धारा (2) के तहत प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगी और लोक सेवक को सुनने का अवसर देने के बाद यह तय करेगी कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं और निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए सिफारिशें करेगी, अर्थात्:

जी.

—

(क) किसी भी एजेंसी (किसी विशेष अनुसंधान एजेंसी सहित) द्वारा अनुसंधान ;

एच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही या कोई अन्य उचित कार्रवाई शुरू करना;

(ग) लोक सेवक के खिलाफ कार्यवाही बंद करना और वादी के खिलाफ धारा 46 के तहत कार्रवाई करना।

बी.

(4) धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (ई) से (एच) में उल्लिखित लोक सेवक की पदोन्नति और अन्य सेवा लाभ तब तक प्रभावित नहीं होंगे जब तक कि लोक सेवक को धारा 32 के तहत लोकायुक्ता की सिफारिश पर निलंबित नहीं किया जाता है या उप-धारा (3) के खंड (ए) के तहत अनुसंधान पूरी होने के बाद आरोप पत्र दायर किया जाता है या उप-धारा (3) के खंड (बी) के तहत लोकायुक्ता की सिफारिश पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में उक्त लोक सेवक के खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं किया जाता है।

सी.

(5) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रारंभिक जांच आम तौर पर नब्बे दिनों की अवधि के भीतर और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों की और अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

डी.

(6) यदि लोकायुक्ता शिकायत की अनुसंधान के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी भी अनुसंधान एजेंसी (किसी विशेष एजेंसी सहित) को यथासंभव तेजी से अनुसंधान करने और अपने आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अनुसंधान पूरी करने का निर्देश देगा:

ई.

बशर्ते कि लोकायुक्ता, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उक्त अवधि को एक बार में छह महीने से अधिक और अधिकतम दो साल की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(7) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी अनुसंधान एजेंसी (किसी विशेष एजेंसी सहित), लोकायुक्ता द्वारा उसे भेजे गए मामलों के संबंध में, लोकायुक्ता को अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। (8) लोकायुक्ता के कम से कम तीन सदस्यों वाली पीठ किसी भी जांच एजेंसी (किसी विशेष एजेंसी सहित) से उप-धारा (7) के तहत प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगी और इस बारे में निर्णय ले सकती है कि -

एफ.

जी.

(क) लोक सेवक के खिलाफ विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र या समापन रिपोर्ट दाखिल करना; क

एच.

571

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही का कार्यालय [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही या कोई अन्य उचित कार्रवाई शुरू करना।

(9) लोकायुक्ता, आरोप पत्र दाखिल करने पर उप-धारा (8) के तहत निर्णय लेने के बाद, अपनी अभियोजन शाखा को किसी भी जांच एजेंसी (किसी विशेष एजेंसी सहित) द्वारा जांच किए गए मामलों के संबंध में विशेष अदालत में अभियोजन शुरू करने का निर्देश दे सकता है।

बी.

.....”

19. धारा 20 प्रारंभिक अनुसंधान और अनुसंधान करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला एक अंतर्निहित तंत्र प्रदान करता है, जिसे लोकायुक्ता, तथ्यों और परिस्थितियों में, शिकायत की प्राप्ति पर तय कर सकता है-या तो लोक सेवक के खिलाफ उसकी अनुसंधान शाखा या किसी भी एजेंसी द्वारा प्रारंभिक अनुसंधान करने का आदेश दे सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं; या किसी भी कानून के तहत अनुसंधान करने के लिए सशक्त किसी भी एजेंसी या प्राधिकरण द्वारा अनुसंधान करने का निर्देश दे सकता है, ताकि यह संतोष दर्ज किया जा सके कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है।

सी.

डी.

20. उप-धारा (2), (3) और (4) उस प्रक्रिया का प्रावधान करती है जिसका पालन जांच शाखा या किसी भी एजेंसी द्वारा किया जाना है जिसे इस तथ्य का पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या मामले में कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। ऐसी रिपोर्ट जांच शाखा या किसी एजेंसी से उप-धारा (2) के तहत विचार करने के लिए लोकायुक्ता के कम से कम तीन सदस्यों वाली पीठ के समक्ष रखी जाती है और लोक सेवक को सुनने का अवसर देने

के बाद, लोक सेवक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए उप-धारा (3) के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत प्रदान की गई एक या अधिक कार्रवाइयों के साथ आगे बढ़ने की सिफारिश कर सकती है। उप-धारा (5) 90 दिनों की समय-सारणी निर्धारित करती है जिसके तहत प्रारंभिक जांच पूरी की जानी है। उप-धारा (6) में यथासंभव शीघ्रता से अनुसंधान करने और छह महीने की अवधि के भीतर अनुसंधान पूरी करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई का प्रावधान है। उप-धारा (7) के तहत, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अनुसंधान एजेंसी लोकायुक्ता को अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। उप-धारा (8) और (9) जांच एजेंसी द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पालन की जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करती है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

572

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

21. अध्याय VIII में लोकायुक्ता की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 25 के तहत, मामलों के संबंध में राज्य सतर्कता और अपराध शाखा सहित अनुसंधान एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देश की शक्ति, जहां तक वे ऐसी एजेंसी द्वारा की गई अनुसंधान से संबंधित हैं, लोकायुक्ता को सौंपी गई है।

22. धारा 27 स्पष्ट करती है कि किसी भी प्रारंभिक जांच के उद्देश्य से, लोकायुक्ता की जांच शाखा के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं और लोकायुक्ता के समक्ष किसी भी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

बी.

23. धारा 28 लोकायुक्ता को किसी भी प्रारंभिक अनुसंधान या अनुसंधान करने और सरकार के किसी भी अधिकारी या संगठन या अनुसंधान एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिकृत करती है।

सी.

24. वास्तव में, यह अधिनियम एक पूर्ण संहिता है जो उस प्रक्रिया को लागू करता है जिसके तहत अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिनियम, 2014 के तहत लोकायुक्ता को राज्य के भीतर और बाहर सेवारत ओडिशा राज्य के लोक सेवकों और ओडिशा सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों के संबंध में एक तंत्र अपनाने का अधिकार है ताकि लोक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों की जांच की जा सके।

डी.

25. श्री रंजन कुमार दास, पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता प्रकोष्ठ इकाई, भुवनेश्वर इच्छुक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन एक मुखबिर के रूप में प्रत्यर्थी नं. 1 (विधायक गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र) ने ओडिशा के लोकायुक्ता को आय से अधिक संपत्ति रखने और जानबूझकर अवैध रूप से खुद को समृद्ध करने के बारे में बताया। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर, अपीलार्थी ने सतर्कता निदेशालय, कटक को प्रत्यर्थी नं. 1 11 दिसंबर, 2020 के एक आदेश द्वारा अधिनियम, 2014 की धारा 20 (1) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए। इससे पहले कि सतर्कता निदेशालय द्वारा प्रारंभिक जांच करने में कोई कार्रवाई की जा सकती थी, प्रत्यर्थी नं. 1 उच्च न्यायालय के समक्ष और पहले चरण में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना, प्रारंभिक जांच करने के लिए अपीलार्थी द्वारा पारित 11 दिसंबर, 2020 के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ की कार्रवाई वास्तव में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी।

ई.

एफ.

जी.

26. प्राकृतिक न्याय के शासन का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना या इसे नकारात्मक रूप से रखना है, ये नियम केवल उन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं जो ए के दायरे में नहीं आते हैं।

एच.

573

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही का कार्यालय [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

वैध रूप से बनाया गया कोई भी कानून। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा, वास्तव में, समय बीतने के साथ बदलती रही है, लेकिन फिर भी समय-परीक्षित नियम, अर्थात् (i) कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा (निमो डेबेट एसे जूडेक्स प्रोप्रिया कौसा) और (ii) किसी पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर (ऑडी अल्टरम पार्टेम) दिए बिना उसके खिलाफ कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। साथ ही, प्राधिकरण की कार्रवाई को पक्षपात के बिना

सद्भावना से किया जाना चाहिए और मनमाना या अनुचित नहीं होना चाहिए। 27. पहली बार में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रत्यर्थी नं. 3 के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने के लिए 11 दिसंबर, 2020 के अपीलार्थी के आदेश को दरकिनार करते हुए दिनांक 3 फरवरी, 2021 के आदेश को पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है। 1 अधिनियम, 2014 की धारा 20 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करना जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

बी.

सी.

28. गुण-दोष के आधार पर भी, खंड पीठ ने अधिनियम, 2014 की धारा 20 (1) की पूरी तरह से अनदेखी की है, जो शिकायत प्राप्त होने पर, स्पष्ट रूप से संतुष्टि दर्ज करने के बाद, अपने विवेकाधिकार पर, यदि आगे बढ़ने और कोई अनुसंधान करने का इरादा रखता है, तो यह पता लगाने के लिए कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या किसी भी कानून के तहत सशक्त किसी एजेंसी या प्राधिकरण द्वारा अनुसंधान करने के लिए कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, किसी लोक सेवक के खिलाफ प्रारंभिक अनुसंधान कर सकता है।

डी.

ई.

29. जहाँ तक 'किसी भी अभिकरण' शब्द का संबंध है, यह अध्याय VIII की धारा 25 से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है जो लोकायुक्ता को इस तरह से प्रयोग करने के लिए अधीक्षण की शक्ति सौंपती है ताकि राज्य सतर्कता और अपराध शाखा सहित किसी भी अभिकरण की आवश्यकता हो। 30. साथ ही, धारा 28 के तहत, कोई भी प्रारंभिक अनुसंधान या अनुसंधान करने के उद्देश्य से, लोकायुक्ता के लिए सरकार के किसी भी अधिकारी या संगठन या अनुसंधान एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए खुला है और, उन परिस्थितियों में, यदि अपीलकर्ता अपने विवेकपूर्ण विवेक से और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से प्रारंभिक अनुसंधान करता है, जिसका संदर्भ सतर्कता निदेशालय, कटक के माध्यम से धारा 28 के तहत किया गया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रारंभिक अनुसंधान करने में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई कानूनी कमजोरी नहीं थी, जो हमारे विचार में, अधिनियम, 2014 की धारा 20 (1) के दायरे और दायरे में थी और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा एक स्पष्ट त्रुटि की गई थी।

एफ.

जी.

एच.

अपीलार्थी का 11 दिसंबर, 2020 का आदेश प्रत्यर्थी नं.1.

31. यह प्रत्यर्थीओं का मामला नहीं है कि प्रत्यर्थी नहीं।¹ लोक सेवक नहीं है या अधिनियम, 2014 उसके लिए लागू नहीं है या अपने अधिकार क्षेत्र में लोकायुक्ता अधिनियम, 2014 की धारा 20 (1) के तहत प्रारंभिक जांच करने के लिए सक्षम नहीं था। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे विचार में, विवादित निर्णय के तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिया गया निष्कर्ष कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। 32. पक्षों द्वारा प्रस्तुतियों के दौरान, यह सूचित किया गया कि इस न्यायालय द्वारा 3 फरवरी, 2021 के विवादित फैसले पर रोक लगाने के बाद, अपीलकर्ता आगे की अनुसंधान करने के लिए आगे बढ़ा है और सतर्कता निदेशालय द्वारा अनुसंधान करने के लिए धारा 20 (3) (ए) के तहत लोकायुक्ता को प्रारंभिक अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कार्रवाई की जा रही है और सतर्कता निदेशालय द्वारा 7 जून, 2022 को अपीलकर्ता के समक्ष अनुसंधान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

बी.

सी.

डी.

33. यद्यपि हम इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाए जाने पर आगे कदम उठाने में अपीलार्थी की कार्रवाई की सराहना नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ ही, हमने प्रत्यर्थीगण को यह औचित्य साबित करने का अवसर भी दिया कि क्या अपीलार्थी द्वारा की गई कार्रवाई अधिनियम, 2014 के जनादेश के अनुरूप नहीं है, लेकिन हमारे सामने रखी गई लिखित प्रस्तुतियों से, हम प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई वैध आपत्ति नहीं पाते हैं जो इस न्यायालय से 11 दिसंबर, 2020 के आदेश के अनुसार प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अपीलार्थी द्वारा की जा रही कार्रवाई को आगे बढ़ाने में हस्तक्षेप करने का आह्वान कर सकती है। फिर भी हम इसे प्रत्यर्थी नहीं के लिए खुला छोड़ देते हैं।¹, यदि अपीलार्थी द्वारा की गई आगे की कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, तो वह कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र है।

ई.

एफ.

34. जहां तक प्रारंभिक जांच करने की कार्रवाई के संबंध में प्रत्यर्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति इस कारण से पक्षपातपूर्ण है कि सतर्कता निदेशालय के पुलिस उपाधीक्षक ने एक

शिकायत प्रस्तुत की है और अपीलकर्ता ने सतर्कता निदेशालय को 11 दिसंबर, 2020 के एक आदेश द्वारा प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है, जो वास्तव में सतर्कता निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी यानी अतिरिक्त पुलिस सतर्कता अधीक्षक, श्री पी. के. नाइक द्वारा किया गया था, जिन्होंने 28 मई, 2021 को अपीलकर्ता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसका संबंध है, हम ए.

जी.

एच.

575

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही का कार्यालय [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

सतर्कता निदेशालय की ओर से प्रारंभिक जांच करने में कोई पक्षपात होने के कारण कि शिकायत प्रस्तुत करने वाला अधिकारी केवल एक सूचना देने वाला था और इच्छुक व्यक्ति नहीं था, उसी समय, प्रारंभिक जांच एक अलग अधिकारी द्वारा की गई थी जो शिकायत के लेखक से संबंधित नहीं था, इस प्रकार पक्षपात की याचिका निराधार थी। हमारे विचार में, पूर्वाग्रह के सिद्धांत, यहां तक कि दूर से भी, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आकर्षित नहीं हैं।

बी.

35. पक्षपात के खिलाफ नियम आधुनिक प्रशासनिक कानून का एक अनिवार्य घटक है। पक्षपात के खिलाफ नियम निर्णय निर्माताओं को बाहर करके एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जो पूर्वाग्रह से दायी हैं। नियम के तहत, वास्तविक पूर्वाग्रह अयोग्य है, भले ही इसे स्थापित करना निषेधात्मक रूप से कठिन हो। समय-परीक्षित नियम में अंतर्निहित मूल सिद्धांत यह है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया जाना भी प्रतीत होना चाहिए और इस नियम को इस न्यायालय के कई फैसलों में व्यापक मान्यता मिली है और हमारे विचार के लिए हम ए. के. क्राईपाक में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देते हैं।

सी.

और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **1**, जिसमें पैरा **15** में यह

डी.

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: “15. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नकीशबंद को चयन बोर्ड के सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह सच है कि आम तौर पर किसी राज्य में मुख्य वन संरक्षक को चयन बोर्ड में होने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति माना जाना चाहिए। उनसे अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपने अधिकारियों, उनकी कमजोरियों के

साथ-साथ उनकी ताकत को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अखिल भारतीय सेवा में चयन के लिए उनकी उपयुक्तता के संबंध में उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन परिस्थितियों में नकीशबंद को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल करना अनुचित था। वे चयन के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक थे। एक व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश बनाना न्याय के सभी नियमों के खिलाफ है। यह सच है कि जब उनके नाम पर विचार किया गया तो उन्होंने समिति के विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया था। लेकिन फिर इस तथ्य का कि वह चयन बोर्ड के सदस्य थे, चयन बोर्ड के फैसले पर अपना प्रभाव पड़ा होगा। इसके अलावा जब उनके प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से बसु के दावों पर विचार किया गया तो उन्होंने चयन बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लिया। वे वरीयता के क्रम में चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में भी भागीदार थे। विचार-विमर्श में उनकी भागीदारी के हर स्तर पर

ई.

एफ.

जी.

1 1969 (2) एससीसी 262

एच.

576

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

चयन बोर्ड में उनके हितों और कर्तव्य के बीच टकराव था। उन परिस्थितियों में यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह निष्पक्ष हो सकते थे। असली सवाल यह नहीं है कि क्या वह पक्षपाती थे। किसी व्यक्ति के मन की स्थिति को साबित करना मुश्किल है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार है कि वह संभवतः पक्षपाती था। हम विद्वान महान्यायवादी से सहमत हैं कि केवल पक्षपात का संदेह पर्याप्त नहीं है। पक्षपात की एक उचित संभावना होनी चाहिए। पक्षपात के सवाल को तय करते समय हमें मानवीय संभावनाओं और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना होगा। यह नकीशबंद के हित में था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाहर रखे ताकि वह अपनी स्थिति को आगे की चुनौती से सुरक्षित कर सके। स्वाभाविक रूप से वे चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय अपने पद की रक्षा करने में भी रुचि रखते थे।

बी.

सी.

(जोर जोड़ा गया) 36। उपरोक्त दृष्टिकोण पर संविधान द्वारा आगे विचार किया गया था।

डी.

अशोक कुमार यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2 के मामले में इस न्यायालय की पीठ निम्नानुसार है:

“16. हम याचिकाकर्ताओं से सहमत हैं कि यह हमारे न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों में से एक है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है और यदि पक्षपात की उचित संभावना है तो यह "प्राकृतिक न्याय और सामान्य ज्ञान के अनुसार है कि न्याय के इतने पक्षपाती होने की संभावना को बैठने से अक्षम किया जाना चाहिए।" सवाल यह नहीं है कि क्या न्यायाधीश वास्तव में पक्षपाती है या वास्तव में आंशिक रूप से निर्णय लेता है, बल्कि यह है कि क्या पक्षपात की वास्तविक आजीविका है। ऐसे मामले में जो आपत्तिजनक है वह यह नहीं है कि निर्णय वास्तव में पूर्वाग्रह से दूषित है, बल्कि यह है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो दूसरों के मन में एक उचित आशंका पैदा करती हैं कि निर्णय को प्रभावित करने वाले पूर्वाग्रह की संभावना है। इस नियम में अंतर्निहित मूल सिद्धांत यह है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए और इस नियम को इस न्यायालय के कई फैसलों में व्यापक मान्यता मिली है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नियम उन मामलों तक ही सीमित नहीं है जहां न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह उचित रूप से उन सभी मामलों में लागू किया जाता है जहां पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दावों के बीच एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिए एक स्वतंत्र दिमाग को लागू करना पड़ता है। न्याय केवल अदालतों का कार्य नहीं है; यह उन सभी का भी कर्तव्य है जो न्याय चाहते हैं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

2 1985 (4) एससीसी 417 ए

577

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही का कार्यालय [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने की उम्मीद है। न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों पर लागू किए जाने वाले सख्त मानकों को प्रशासनिक निकायों पर तेजी से लागू किया जा रहा है, क्योंकि यह एक कल्याणकारी राज्य में कानून के शासन को

बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है जहां प्रशासनिक निकायों का अधिकार क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है ताकि राज्य के साधन अपने कार्यों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से निभा सकें। यही वह आधार था जिसके आधार पर इस नियम की प्रयोज्यता ए. के. क्राईपाक बनाम भारत संघ [(1969) 2 एस. सी. सी. 262] में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के चयन के लिए गठित चयन समिति की निर्णय लेने की प्रक्रिया तक विस्तारित की गई थी। इस मामले में जो हुआ वह यह था कि जम्मू और कश्मीर के कार्यवाहक मुख्य वन संरक्षक नकीशबंद उस चयन बोर्ड के सदस्य थे जिसका गठन जम्मू और कश्मीर के वन विभाग में सेवारत अधिकारियों में से भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का चयन करने के लिए किया गया था। नकीशबंद, जो चयन बोर्ड के सदस्य थे, भी भारतीय वन सेवा में चयन के लिए उम्मीदवारों में से एक थे। वे उस समय चयन बोर्ड में नहीं बैठे थे जब उनके नाम पर चयन के लिए विचार किया गया था, लेकिन वे चयन बोर्ड में बैठे और विचार-विमर्श में भाग लिया जब उनके प्रतिद्वंद्वी अधिकारियों के नाम पर चयन के लिए विचार किया गया और वरीयता के क्रम में चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय चयन बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लिया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नकीशबंद की उपस्थिति ने चयन को इस आधार पर दूषित कर दिया कि चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पूर्वाग्रह की उचित संभावना थी। हेगड़े, जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए इस तर्क का विरोध किया कि नकीशबंद ने चयन बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया था जब उनके नाम पर विचार किया गया था, यह कहते हुए: “लेकिन फिर इस तथ्य का कि वह चयन बोर्ड के सदस्य थे, चयन बोर्ड के फैसले पर अपना प्रभाव पड़ा होगा। इसके अलावा उन्होंने स्वीकार किया कि जब उनके प्रतिद्वंद्वियों के दावों पर विचार किया गया तो उन्होंने चयन बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लिया। वे वरीयता के क्रम में चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में भी भागीदार थे। चयन बोर्ड के विचार-विमर्श में उनकी भागीदारी के हर चरण में उनके हितों और कर्तव्य के बीच टकराव था। असली सवाल यह नहीं है कि क्या वह पक्षपाती थे। किसी व्यक्ति के मन की स्थिति को साबित करना मुश्किल है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या इसके लिए कोई उचित आधार है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

यह मानते हुए कि वह संभवतः पक्षपाती था। पक्षपात की एक उचित संभावना होनी चाहिए। पक्षपात के सवाल को तय करते समय हमें मानवीय संभावनाओं और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना होगा।”

इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पक्षपात स्थापित करना आवश्यक नहीं था, लेकिन यह चयन प्रक्रिया को अमान्य करने के लिए पर्याप्त था यदि यह दिखाया जा सके कि पक्षपात की उचित संभावना थी। पक्षपात की संभावना स्वामित्व हित के कारण या व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि एक पक्ष के प्रति शत्रुता या व्यक्तिगत मित्रता या दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध। जहां संबंधों के आधार पर पक्षपात की उचित संभावना का आरोप लगाया जाता है, सवाल हमेशा यह होगा कि संबंधों का स्तर कितना करीब है या दूसरे शब्दों में, क्या संबंधों की निकटता इतनी अधिक है कि चयन करने वाले प्राधिकारी की ओर से पक्षपात की उचित आशंका को जन्म देता है।”

बी.

सी.

(जोर जोड़ा गया) 37। तत्काल मामले में, सतर्कता निदेशालय के पुलिस उपाधीक्षक (श्री रंजन कुमार दास) द्वारा शिकायत की गई थी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायत से संबंधित नहीं हैं, उन्हें अपीलार्थी के कार्यालय का एक मुखबिर कहा जा सकता है और इसके अलावा, सतर्कता निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री पी. के. नाइक द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रारंभिक जांच की गई थी, जिन्होंने 28 मई, 2021 को प्रारंभिक जांच की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तत्काल तथ्यों और परिस्थितियों में पक्षपात का सवाल बिल्कुल भी नहीं उठता है और इसके अलावा, संविधान पीठ

डी.

ई.

इस न्यायालय ने हाल ही में मुकेश सिंह बनाम राज्य (राज्य की मादक पदार्थ शाखा) मामले में

दिल्ली) 3, इस प्रश्न की अनुसंधान करते हुए कि क्या मामले की अनुसंधान पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, जो स्वयं एक वादी है, क्या मुकदमा दूषित है और आरोपी बरी होने का हकदार है और संहिता की योजना की अनुसंधान करने के बाद, अंत में संदर्भ का उत्तर दिया गया:

एफ.

“13. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों से, हम निष्कर्ष निकालते हैं और नीचे दिए गए संदर्भ का उत्तर देते हैं:

जी.

13.1.(I) कि भगवान सिंह बनाम राजस्थान राज्य [(1976) 1 एस. सी. सी. 15], मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य [(1996) 11 एस. सी. सी. 709] और राज्य बनाम राजगम [(2010) में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ।

3 2020 (10) एससीसी 120 ए

एच.

579

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही का कार्यालय [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

15 एस. सी. सी. 369] और इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त को इस आधार पर बरी करना कि सूचना देने वाला और अन्वेषक एक ही थे, इसने मुकदमे को दूषित कर दिया है और अभियुक्त बरी होने का हकदार है, को अपने तथ्यों तक ही सीमित माना जाना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त निर्णयों में, इस न्यायालय ने कानून का कोई भी सामान्य प्रस्ताव रखा है कि प्रत्येक मामले में जहां सूचना देने वाला जांचकर्ता है, आरोपी के प्रति पक्षपात होता है और पूरे अभियोजन मामले पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और आरोपी बरी होने का हकदार है।

बी.

13.2.(II) ऐसे मामले में जहां सूचना देने वाला स्वयं अनुसंधान कर्ता है, उसके द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुसंधान पक्षपात या इसी तरह के कारक के आधार पर दूषित है। पक्षपात या पूर्वाग्रह का सवाल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसलिए, केवल इसलिए कि सूचना देने वाला अनुसंधान कर्ता है, उसके द्वारा ही अनुसंधान में अन्याय या पक्षपात नहीं होगा और इसलिए एकमात्र आधार पर कि सूचना देने वाला अनुसंधान कर्ता है, आरोपी बरी होने का हकदार नहीं है। मामले का फैसला मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना चाहिए। मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य [(2018) 17 एस. सी. सी. 627] मामले में इस न्यायालय का एक विपरीत निर्णय और इसके विपरीत विचार रखने वाला कोई अन्य निर्णय कि सूचना देने वाला अन्वेषक नहीं हो सकता है और ऐसे मामले में अभियुक्त बरी होने का हकदार है, अच्छा कानून नहीं है और उन्हें विशेष रूप से खारिज कर दिया जाता है।” (जोर जोड़ा गया) 38। हमारा विचार है कि तत्काल मामले में प्रारंभिक जांच

करने में पक्षपात का कोई तत्व नहीं था और प्रत्यर्चीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

39. प्रत्यर्चीगण द्वारा उठाई गई आगे की आपत्ति इस न्यायालय में अपील दायर करने में अपीलार्थी के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में है और उसकी प्रस्तुति के समर्थन में, अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

यह न्यायालय राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम दिल्ली राज्य और अन्य 4 और एम. एस. काजी बनाम मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी और अन्य 5.

हमारे सुविचारित विचार में, प्रस्तुत करना पूरी तरह से योग्यता से रहित है क्योंकि अधिनियम, 2014 की धारा 20 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारंभिक जांच करने के लिए 11 दिसंबर, 2020 के आदेश के अनुसार शुरू की गई अपीलार्थी की कार्रवाई एक विषय था।

जी.

4 2010 (12) एससीसी 599 5 2016 (9) एससीसी 263

एच.

580

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

प्रत्यर्ची सं. के आग्रह पर उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का मामला।¹ और यदि उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है और अपीलार्थी की कार्रवाई को 3 फरवरी, 2021 के विवादित फैसले के तहत दरकिनार किया जा रहा है, तो अपीलार्थी वास्तव में एक व्यथित व्यक्ति था और उसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा हस्तक्षेप की गई कार्रवाई पर सवाल उठाने का अधिकार है और अपीलार्थी के पास उपलब्ध एकमात्र उपाय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश पर सवाल उठाना है।

बी.

40. राष्ट्रीय महिला आयोग (ऊपर) में निर्णय

जिस पर प्रत्यर्थागण ने भरोसा रखा है, वह एक ऐसा मामला था जिसमें आपराधिक मुकदमे में, निचली अदालत द्वारा पहली बार आयोजित किए गए मामले में, अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था और उसके द्वारा दायर अपील पर, बाद में अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था और स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष यानी राज्य सरकार या पीड़ित द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती थी, लेकिन किसी भी पक्ष ने कोई अपील नहीं की है और यह राष्ट्रीय महिला आयोग था जिसने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और इस न्यायालय ने अभी भी योग्यता के आधार पर आयोग द्वारा दायर अपील की जांच करने का साहस किया है, लेकिन कहा कि अपीलकर्ता के कहने पर अपील करने के लिए विशेष अनुमति दी गई है।

सी.

डी.

ई.

41. उसी समय, एम. एस. काजी (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय एक ऐसा मामला था जिसमें अनुशासनात्मक जांच करने के बाद एक अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया था। जैसे ही मामला संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत उच्च न्यायालय में गया और इस स्तर पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि चूंकि न्यायाधिकरण एक पक्षकार प्रत्यर्थी नहीं है, जो प्रशासक था, जिसके समक्ष पक्षों यानी शिक्षक और अल्पसंख्यक संस्थान के बीच विवाद की जांच की गई थी, इसलिए आपत्ति स्थायी थी, फिर भी इस अदालत द्वारा आपत्ति को अस्वीकार कर दिया गया था जैसा कि पैरा 9 में संदर्भित किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह पीड़ित व्यक्ति है जिसे कानून के तहत उपलब्ध अपने उपचार का पीछा करना है और मामले में पीड़ित व्यक्ति ने न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लागू किया, लेकिन न्यायाधिकरण इस कारण से कार्यवाही के लिए एक आवश्यक पक्ष नहीं था कि यह आदेश शिक्षक और अल्पसंख्यक संस्थान के बीच था और तदनुसार, इस न्यायालय ने कहा कि

एफ.

जी.

एच.

581

ओडिशा लोकायुक्ता बनाम डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही का कार्यालय [अजय रस्तोगी, जे.]

उच्च न्यायालय ने पत्र पेटेंट अपील को इस आधार पर खारिज करने में त्रुटि की है कि यह न्यायाधिकरण के पक्षकार प्रत्यर्थी होने के अभाव में बनाए रखने योग्य नहीं था।

42. जिन दोनों निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भी दूर से संबंधित नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि अपीलार्थी का सतर्कता निदेशालय को 11 दिसंबर, 2020 के अधिनियम, 2014 की धारा 20 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रारंभिक जांच करने का निर्देश देने वाला आदेश उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो जाहिर है, अपीलार्थी एक व्यथित व्यक्ति है और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करके निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता पर सवाल उठा सकता है।

बी.

सी.

43. नतीजतन, अपील सफल होती हैं और तदनुसार अनुमति दी जाती है। 3 फरवरी, 2021 के उच्च न्यायालय के फैसले और 5 अप्रैल, 2021 के समीक्षा आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है। कोई लागत नहीं। 44. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

डी.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.